



सूचना

उत्तरपुस्तिका में प्राप्तांकों से संतुष्ट न होने पर परीक्षार्थियों द्वारा शिकायती प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्यावेदनों के संबंध में आवश्यक सूचना-

सूच्य है कि उत्तरपुस्तिका में प्राप्तांकों से संतुष्ट न होने पर विश्वविद्यालय व्यवस्थानुसार परीक्षार्थी अन्तिम परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 01 माह के भीतर नियमानुसार अपनी उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है उसके उपरांत 01 माह के भीतर उत्तर पुस्तिका में लिखे गये उत्तरों हेतु साक्ष्य प्रमाण सहित शिकायती प्रकोष्ठ समिति, परीक्षा अनुभाग को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

शिकायती प्रकोष्ठ में प्रत्यावेदन प्राप्त होने के उपरांत शिकायति प्रकोष्ठ समिति द्वारा पुर्नमूल्यांकन कराये जाने वाले अनुमोदित प्रत्यावेदनों की संस्तुति पर संबंधित छात्रों को वि०वि० में जारी सूचना के 15 कार्यदिवस के भीतर रू० 1000/-प्रति प्रश्नपत्र (प्रति उत्तरपुस्तिका की दर से) वि०वि० के बैंक चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। पुर्नमूल्यांकन हेतु अनुमोदित व निरस्त हुए अभ्यर्थियों की सूची एवं **अन्तिम परीक्षाफल घोषणा की सूचना वि०वि० की वैबसाइट में पृथक से जारी की जायेगी।**

उपरोक्त समयवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों/शुल्क पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक
उ०मु०वि०वि०
07/05/2024